

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: डा० मधु खरे

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 809-एक/1999 विरुद्ध आदेश दिनांक 15-04-1999 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 41/1997-98/अपील.

भैरुलाल आत्मज रामाजी यारी
निवासी दडिया तहसील खाचरोंद
जिला उज्जैन

----- अपीलार्थी

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जिला उज्जैन
2. कल्याणसिंह आत्मज समुन्द्रसिंह
निवासी दडिया वर्तमान में बिरला ग्राम नागदा
तहसील खाचरोंद जिला उज्जैन
3. भंवरसिंह आत्मज श्रवण सिंह राजपूत
निवासी बिरला ग्राम नागदा
तहसील खाचरोंद जिला उज्जैन
4. सुनील आत्मज स्व० भेरुसिंह
5. राजकुमारीपति दिलीप सिंह गूजर
दोनों निवासी रामसहाय मार्ग नागदा
जिला उज्जैन

----- प्रत्यर्थीगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक -अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव शास० पैनल अभिभाषक -प्रत्यर्थी कं 1
श्री एस०के० वाजपेयी, अभिभाषक - प्रत्यर्थी कं 3
श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक - प्रत्यर्थी कं 4 एवं 5

:: आदेश ::

(दिनांक २२ जनवरी 2016 को पारित)

यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 15-04-1999 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

०१

2/ प्रकरण का संक्षिप्त में साराँश यह है अपर आयुक्त न्यायालय में दो अपील प्रकरण क्रमांक 41/97-98/अपील एवं 43/97-98/अपील प्रचलित थी, जिसमें अपीलार्थी प्रत्यर्थी के रूप में आवश्यक पक्षकार था। अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अपीलार्थी की ओर से उनके अभिभाषक नियुक्त थे। अपीलार्थी अभिभाषक दिनांक 9-4-99 को माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर पीठ में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके जिसपर अपर आयुक्त न्यायालय ने अपीलार्थी की उपस्थिति आवश्यक न बताकर पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त कर दिया। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15-4-1999 को आवेदन म0प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तुत कर अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 15-5-1999 के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपील में दिनांक 9-4-1999 को आदेश पारित हो जाने से इस आवेदन पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती, अतः नस्ती की जाकर शामिल संबंधित प्रकरण किया जाये। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अपीलार्थी अपीलीय न्यायालय में प्रत्यर्थी के रूप आवश्यक पक्षकार था। उनके अभिभाषक दिनांक 9-4-99 को माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर पीठ में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके जिसपर अपर आयुक्त न्यायालय ने अपीलार्थी की उपस्थिति आवश्यक न बताकर पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि अपीलार्थी द्वारा पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करने बावत संहिता की धारा 35(3) का

०१

आवेदन देने पर उक्त आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाये।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क दिया कि चूंकि अपीलार्थी के अभिभाषक नियत दिनांक को सूचना उपरांत अनुपस्थित थे इस कारण अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15—4—1999 को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया था तब तक प्रकरण में दिनांक 09—4—1999 को अंतिम आदेश हो चुका था इसी कारण अपर आयुक्त ने अपीलार्थी आवेदन नस्ती कर संलग्न प्रकरण कर दिया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 9—4—1999 को अंतिम तर्क हेतु प्रकरण नियत था। दिनांक 29—1—1999 को रिस्पाडेन्ट कमांक 3 भेरुलाल (इस प्रकरण में अपीलार्थी) अपने अभिभाषक श्री एस०के० शास्त्री के साथ उपस्थित हुये थे तथा अपीलार्थी एवं उनके अभिभाषक को पेशी दिनांक 9—4—1999 की जानकारी थी। दिनांक 9—4—1999 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण ही अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में उभय पक्ष के अंतिम तर्क श्रृंखण किये गये और अपील में दिनांक 9—4—1999 को ही अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15—4—1999 को एकपक्षीय होने का आदेश समाप्त कर पुनः सुनवाई का अवसर देने हेतु संहिता की धारा 35(3) का आवेदन प्रस्तुत किया गया था और अपर आयुक्त ने इस आधार पर कि उनके द्वारा पूर्व में ही अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है इसलिए अब इस आवेदन का कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से नस्ती की जाकर शामिल संबंधित प्रकरण किये जाने के आदेश किये हैं। प्रकरण में

०१

अंतिम आदेश होने के पश्चात् एकपक्षीय आदेश निरस्त कर पुनः सुनवाई का अवसर देने संबंधी आवेदन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर किये गये आदेश में वैधानिक रूप से हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है।

(डा० मधु^म खरे)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र०,
ग्वालियर